झारखण्ड सरकार

कला, संस्कृति खेल कूद एवं युवाकार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।
संकल्प
विषय-खेल छात्रवृति (वृतिका) योजना

उद्देश्य

खेल छात्रवृति (वृतिका) का उद्देश्य राज्य के खिलाड़ियों को जीविका के अभाव में भटकने से एवं खेलों में आजीविका के रूप में स्वीकार करने हेतु सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से खिलाड़ियों को सारा ध्यान खेल पर केन्द्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्हें उनके भोजनादि/पौष्टिक आहार, खेल उपकरण आदि के लिये एक निश्चित वृतिका की राशि उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रदान की जायेंगी।

अहर्त्ता

(क) आवरण एवं पात्रता/योग्यता

1. यह छात्रवृति (वृतिका) विगत वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में खेल प्रदर्शन के आधार पर दी जाएगी।
2. यदि आवेदक इस अवधि में कोई अन्य छात्रवृति/वृतिका/मानदेय प्राप्त कर रहा है या अन्य खेल योजना के अन्तर्गत निःशुल्क आहार/आवास तथा अन्य सुविधायें प्राप्त कर रहा है, वह इस छात्रवृति (वृतिका) के लिये योग्य नहीं होंगे। यदि छात्रवृति (वृतिका) प्राप्त करने वाला आवेदन पहले से ही ऐसी कोई वृतिका/सुविधा हासिल कर रहा है, तो उसे इस छात्रवृति (वृतिका) को प्राप्त करने के लिए पहले प्राप्त छात्रवृति/सुविधा/वृतिका/मानदेय को छोड़ना होगा। चयनित खिलाड़ी मात्र अपने अध्ययन के लिये अपने विद्यालय/महाविद्यालय/विश्व विद्यालय से विद्यालय शुल्क माफ करा सकता है/ छात्रवृति प्राप्त कर सकता है।

3. यदि प्रतियोगिता की तिथियाँ या समय /दूरी /ऊँचाई/भार प्वाइंटस आदि की उपलब्धि का ब्यौरा प्रमाण पत्र में दिया गया है, तो आवेदक उसे सम्बन्धित संघ / संस्थान से प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें अन्यथा उनके आवेदक पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. योजना के अधीन प्राप्त छात्रवृति (वृतिका) की समयावधि एक वर्ष होगी और इसका आगामी वर्ष होगी और इसका आगामी वर्ष के लिये नवीकरण हो सकता है वशर्ते आवेदक से सम्बन्धित खेल में स्पष्ट रूप से प्रगति की है/ निपुणता को बनाये रखा है। छात्रवृतिम (वृतिका) के नवीकरण के लिये मात्र राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सहभागिता प्रर्याप्त नहीं होगी।
5. छात्रवृति (वृतिका) प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रति वर्ष अपने छात्रवृति (वृतिका) के नवीकरण हेतु आवेदक प्रपत्र भर कर भेजना होगा अन्यथा उनकी छात्रवृति (वृतिका) समाप्त कर दी जायेगी,, चाहे वह इसे प्राप्त करने के योग्य हों।

(ख) चयन

आवेदक पत्रों की जाँच विधिवत गठित चयन निति द्वारा की जायेगी, जो खेल प्रदर्शन एवं योग्यता के आधार पर खेल छात्रवृति (वृतिका) के लिये खिलाड़ियों का चयन करेगी।

चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे-

1. सचिव, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग - अध्यक्ष
2. निदेशक, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग - अध्यक्ष
3. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य खेल प्राधिकरण - अध्यक्ष
4. उप निदेशक (क्रीड़ा), मुख्यालय, राँची - अध्यक्ष
5. उप निदेयरक (क्रीड़ा), जनजातीय क्षेत्र, राँची - अध्यक्ष
6. प्रमुख, खेल, टाटा स्टील कम्पनी, जमशेदपुर - अध्यक्ष
7. प्रशासक, साई(सैग) सेन्टर, राँची - अध्यक्ष
8. विभाग द्वारा मनोनीत राज्य के पूर्व अन्तराष्ट्रीय खिलाड़ियों में से दो खिलाड़ी - अध्यक्ष

समिति का निर्णय ही अन्तिम एवं मान्य होगा एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं स्वीकार किया जायेगा।

(ग) योजना में सम्मिलित खेल

राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले सभी खेल विद्या के खिलाड़ी इस छात्रवृत्ति के पात्र होंगे।

(घ) भुगतान

वृतिका/छात्रवृतियों का भुगतान निदेशालय/झारखण्ड राज्य खेल प्राधिकारण के माध्यम से किया जायेगा।

(ड़) वृतिका/छात्रवृति की राशि

1. राष्ट्रीय खेल के लिये अहर्त्ता प्राप्त खेलों के राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ियों/टीमों के खिलाड़ियों की रू. छात्रवृति/वृतिका	6000/-रू. प्रतिमाह
2. राष्ट्रीय खेल के लिये अहर्त्ता प्राप्त खेलों के राष्ट्रीय चैम्पियनषिप में चतुर्थ से अष्टम स्थान प्राप्त खिलाड़ियों/टीमों के खिलाड़ियों की छात्रवृति/वृतिका	4000/-रू प्रतिमाह
3. राष्ट्रीय खेलों में शामिल सभी खेलों के अन्तर्राज्य/अन्तर्विष्वविद्यालय/राष्ट्रीय खेल के लिये खिलाड़ी चयन हेतु आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम से तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी /टीमों के खिलाड़ी	3000/-रू. प्रतिमाह
4. राष्ट्रीय खेल स्पद्धा में अधतन प्रथम तीन स्थान के समय/दुरी रिकार्ड की बराबरी करने वाले खिलाड़ी	4000/-रू. प्रतिमाह

5. राष्ट्रीय खेल में झारखण्ड राज्य की प्रतिनिधित्व करने की इच्छा रखने वाले वैसे खिलाड़ी जो वर्त्तमान में दूसरे राज्य या संगठन में संविदा पर या नियमित सेवा में हों को सम्बन्धित संगठन/ संस्थान/राज्य की अनापत्ति प्राप्त कर आने पर उन्हें मिल रहे मानदेय /वेतन की प्रति पूर्ति करने योग्य राषि वशर्ते उनका/उनकी टीम का राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम/द्वितीय/तृतीय वरीयता प्राप्त हो।	